आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Sports & Youth Affairs Department

Chief Minister's Youth Development Scheme (CMYDS)

मेघालय खेल एवं युवा मामले विभाग पंजीकृत युवा संगठनों और ऐसे ही समूहों को, जो युवाओं के लिए काम करते हैं, उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से आर्थिक सहायता देता है।

क्या मिल सकता है

पंजीकृत युवा क्लबों, समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और ऐसी इकाइयों को युवा गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना पेज पर राशि नहीं बताई गई है, इसलिए उपायुक्त कार्यालय से पूछें। व्यक्ति सीधे आवेदन नहीं करते।

किसके लिए है

मेघालय के पंजीकृत संगठन और संस्थाएं जो 14 से 29 साल के युवाओं के साथ काम करते हैं, जैसे युवा क्लब, समितियां और स्वयंसेवी समूह।

मुख्य शर्तें

- आवेदक पंजीकृत इकाई होनी चाहिए, जैसे सोसायटी, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संगठन, युवा या सांस्कृतिक क्लब, पूर्व छात्र संघ या पंजीकृत खेल संघ।
- गैर लाभकारी संगठन, समुदाय स्तर के युवा समूह और जिला स्तर के राज्य सरकारी विभाग भी सूची में हैं।
- योजना पेज पर युवाओं की आयु सीमा 14 से 29 साल बताई गई है।

आवेदन कैसे करें

1. अपने जिले के उपायुक्त कार्यालय से संपर्क करें, जिसके माध्यम से सहायता दी जाती है।
2. संगठन के आवेदन से पहले योजना पेज पर दिए गए दिशानिर्देश पढ़ें।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.meghalaya.gov.in/schemes/content/45829
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/meghalaya/ml-cm-youth-development-scheme/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।